रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 16 सितम्बर, 1985/25 भाद्रपद, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 अप्रैल, 1985

संख्या एल०ई०पी०-श्रम(3)2(ख)-4/77.—हिमाचल प्रदेश मोटर परिवहन नियम, 1980 का प्ररूप मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 की धारा 40 की अपेक्षा अनुसार श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या श्रम-एल०ई०पी०-(3)-2(ख)-4/77, दिनांक 9 मई, 1977 के अधीन हिमाचल प्रदेश राजपत्र दिनांक 2 जुलाई, 1977 में प्रकाशित किया गया था, जिसके उस तारीख से, जिसको यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, छः सप्ताह के पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आरोप या सुझाव मांगे गए थे जिसके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी;

और सरकार ने निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझाव पर विचार कर लिया है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर परिवहन कर्मकार नियम, 1985 है ।

(2) ये नियम तत्काल प्रवृत होंगे ।

2. परिभाषायें.—(1) इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम 27) अभिप्रेत है ।

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ।

(ग) "निरीक्षक" से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मुख्य निरीक्षक भी है ।

(घ) "अर्हित चिकित्सा व्यवसायी" से वह ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे भारतीय चिकित्सा उपाधि अधिनियम, 1916 (1916 का 7वां अधिनियम) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट या अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित या भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 10वां अधिनियम) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे किसी प्रान्तीय अथवा राज्य चिकित्सा परिषद् अधिनियम के अधीन प्रमाण-पत्र दिया गया हो ।

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ।

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(छ) "उपक्रम" से मोटर परिवहन उपक्रम अभिप्रेत है ।

(2) ऐसे अन्य सब शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित है वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. चालन काल में अवरोध.—15 मिनट से कम का कोई भी अवरोध चालन काल गणित किया जावेगा ।

अध्याय–2

4. मोटर परिवहन उपक्रम का पंजीकरण.—रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उपक्रम का प्रत्येक नियोजक उपक्रम के परिचालन की प्रस्तावित तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व मुख्यनिरीक्षक अथवा इस सम्बन्ध में उस के द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत निरीक्षक को उपक्रम के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिए जाने के लिए प्ररूप संख्या 1 में दो प्रतियों में आवेदन करेगा; परन्तु इन नियमों के प्रवृत होने से ठीक पूर्व विद्यमान किसी उपक्रम के मामले में ऐसा आवेदन-पत्र एसे प्रारम्भ से साठ दिन के भीतर दिया जायगा; परन्तु यह और कि जहां उपक्रम की इकाइयों का एक से अधिक राज्य में प्रचालन हो रहा है जो उपक्रम का नियोजक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उस राज्य के जिसमें उसका मुख्यालय स्थित है, यथास्थिति, मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक को देगी ।

5. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करना.—उपक्रम के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रमाण-पत्र मुख्य निरीक्षक या उसके द्वारा सम्यक से प्राधिकृत सम्बन्धित ज़िला के निरीक्षक द्वारा निम्नलिखित फीस के संदाय पर प्ररूप संख्या 2 में दिया जायेगा ।

वर्ष के दौरान नियोजित किए जाने वाले परिवहन कर्मकारों की अधिकतम संख्या के लिए	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के फीस
5	10.00
25	25.00
100	100.00
250	250.00
500	500.00
1000	1000.00
1500	1500.00

परन्तु यदि किसी समय यह अधिनियम ऐसे उपक्रम को लागू किया जाता है जिसमें 5 से कम व्यक्ति नियोजित हों तो इसकी फीस 5 रुपए होगी ।

6. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता.—नियम 5 के अधीन दिया गया या नियम 8 के अधीन नवीकृत किया प्रत्येक प्रमाण-पत्र उस वर्ष के जिसके लिए प्रमाण-पत्र दिया गया 31 दिसम्बर तक प्रवृत रहेगा या नवीकृत किया गया है ।

7. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का संशोधन.—(1) नियम 5 के अधीन दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का संशोधन मुख्य नियम या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक रूप से प्राधिकृत निरीक्षक द्वारा किया जा सकेगा ।

(2) नियोजक, संशोधन के कारणों के उत्पन्न होने के 30 दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक या उसके द्वारा सम्यक रूप से इस सम्बन्ध में प्राधिकृत निरीक्षक को संशोधन के स्वरूप और कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदन करेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के संशोधन के लिए फीस 5 रुपए धन वह रकम यदि कोई उस स्थिति में देय होती है जबकि अनुज्ञप्ति होगी, जिसकी वह फीस, उस रकम से, जो मूलतः संशोधित रूप में जारी किया होता मूल रूप से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए संदत्त फीस से अधिक हो ।

8. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण.—(1) प्रत्येक नियोजक रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए इसकी वैधानिकी समाप्ति से पूर्व प्राधिकृत निरीक्षक को मुख्य निरीक्षक या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक रूप से आवेदन करेगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन प्ररूप संख्या 1 में दो प्रतियों में होगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की समाप्ति की तारीख से कम से कम 60 दिन पहले दिया जाएगा और यदि ऐसा आवेदन कर दिया जाता

है तो उपक्रम को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकृत किये जाने की तारीख तक सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकरण समझा जाएगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए वही फीस प्रभार्य होगी जो कि इसे दिये जाने के लिए है:

परन्तु यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे नवीकरण के लिए फीस साधारणतया: रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए देय फीस से 25% अधिक होगी:

परन्तु यह और कि जहां मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक का समाधान हो जाता है कि आवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब नियोजक के नियन्त्रण से बाहर अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुआ है तो वह ऐसा अधिक फीस के संदाय में, जैसा वह उचित समझे कमी या कटौती कर सकता है ।

9. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का अन्तरण.—(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारी कोई नियोजक इसकी वैधता समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय प्रमाण पत्र को दूसरे व्यक्ति के नाम अन्तरित करने के लिए आवेदन कर सकता है ।

(2) ऐसा आवेदन मुख्य निरीक्षक या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक रूप में प्राधिकृत निरीक्षक को किया जाएगा जो यदि, वह इस अन्तरण को अनुमोदन करता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र पर अपने हस्ताक्षरों के अधीन इस आशय का पृष्टांकन करेगा कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नामित व्यक्ति को अन्तरित कर दिया गया है ।

10. नियोजक की मृत्यु या निशक्तत पर प्रक्रिया.—यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारी किसी नियोजक की मृत्यू हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है तो उपक्रम का कारोबार चलाने वाला व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन ऐसी अवधि के भीतर दायी नहीं होगा जो कि उसके नाम में, नियम 7 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में संशोधित करने के लिए, आवेदन देने के लिए युक्ति युक्त रूप से अनुज्ञात की जानी अपेक्षित हो ।

11. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना.—जब यथास्थिति नियम 5 या 8 के अधीन दिया गया या नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र खो जाता है, विरूपित हो जाता है या आकस्मिक रूप में नष्ट हो जाता है तो इसकी दूसरी प्रति 5 रुपये फीस संदाय पर दी जा सकेगी ।

12. फीस का संदाय.—(1) इन नियमों के अधीन संदाय की जाने वाली सभी फीस स्थानीय खज़ाने में, लेखा शीर्ष "87 श्रम एवं नियोजन, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम" के अधीन वसूल की गई फीस के अधीन संदत्त की जाएगी और इसकी रसीद प्राप्त की जाएगी जो कि आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।

(2) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने, नवीकृत करने, संशोधित करने या इसकी दूसरी प्रतिलिपि जारी करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो संदाय फीस का आवेदन को प्रतिदाय किया जाएगा ।

13. गाड़ियों पर रजिस्ट्रीकरण संख्या का चिह्नित किया जाना.--उपक्रम की रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रत्येक गाड़ी की बांई ओर 076 मीटर बड़े और 103 मीटर मोटे शब्दों में चिह्नित की जाएगी ।

अध्याय-3

निरीक्षण कर्मचारी-वृन्द

14. निरीक्षण की अर्हताएं :---(1) किसी भी व्यक्ति को तब तक निरीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह,---

(क) सीधी भर्ती के मामले में,--
(1) कम से कम 25 वर्ष का नहीं है,
(2) स्नातक नहीं है,
(3) अधिमानतः समाज कल्याण सेवा और व्यवसाय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता या टाटा समाज सेवा संस्थान, बम्बई से समाज सेवा में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त नहीं किया है,
(4) किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान या सरकारी विभाग में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक श्रम या कल्याण अधिकारी के रूप में कार्य नहीं किया है ।

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में ,---

(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त नहीं किया है, और
(2) श्रम विभाग में कम से कम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव नहीं रखता है ।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार किसी श्रम निरीक्षक को या श्रम विभाग के श्रम निरीक्षक के पद से उच्चतर पद के किसी अन्य अधिकारी को धारा 4 के प्रयोजन के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकती है ।

15. निरीक्षक की शक्तियां .--इस अधिनियम के प्रयोजनों के निर्वहन के लिए निरीक्षक को निम्नलिखित में से सभी या किसी कार्य को करने की शक्ति होगी:-

(i) किसी भी मोटर परिवहन कर्मचारी का फोटो लेना, किसी भी मोटर परिवहन भवन, कमरे उपयन्त्र, उपकरण, रजिस्टर या दस्तावेज का जो कि किसी अधिकरण द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं या उसके उपभोग में है, और किसी भी अन्य चीज का जो कि मोटर परिवहन कर्मचारियों के स्वास्थ्य व कल्याण के प्रयोजन के लिए उपलब्ध है, यथा स्थिति निरीक्षण या रेखा चित्र तैयार करना,

(ii) अधिनियम या इन नियमों के या निरीक्षक के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के अधीन उदभूत किसी शिकायत या अन्य कार्यवाहियों को किसी भी न्यायालय के समक्ष अभियोजित, संचालित या प्रतिरक्षा करना ,

(iii) किसी नियोजक से अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों से सम्बन्धित कोई विवरणी या जानकारी देने या भेजने की अपेक्षा करना, और,

(iv) ऐसे व्यक्ति का जो उस राज्य से भिन्न राज्य म निवास कर रहा है, जिसमें अधिनियम या इन नियमों के अधीन अपराध किया गया है उस राज्य के निरीक्षक के माध्यम से परीक्षण करवाना और ऐसे परीक्षण का अभिलेख प्राप्त करना ।

16. प्रमाणित करने वाला शल्यचिकित्सक के कर्त्तव्य .—(1) उन किशोर परीक्षण व्यक्तियों के परीक्षण और प्रमाणन के प्रयोजन के लिए जो स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहते हों, प्रमाणित करने वाला शल्य चिकित्सक ऐसे व्यक्तियों के परीक्षण के लिए उपयुक्त समय और स्थान की व्यवस्था करेगा और ऐसी व्यवस्था की पूर्व लिखित सूचना अपनी अधिकारिता की स्थानीय के भीतर सम्बन्धित उपक्रम या उसके समनुविष्ट उपक्रमों या उपक्रमों के वर्ग के नियोजन को देगा ।

(2) प्रमाणित करने वाला शल्य चिकित्सक अपना प्रमाण-पत्र प्ररूप संख्या 3 में जारी करेगा। पर्ण और प्रतिपर्ण भरी जयेंगे और उन पर उस व्यक्ति के बांए हाथ का अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर किए जायेंगे जिसके नाम पर प्रमाण-पत्र दिया गया है । उस की गई प्रविष्टियों के सही होने और परीक्षण किए गए व्यक्ति के स्वस्थ होने के बारे में समाधान होने पर वह पर्ण पर हस्ताक्षर और प्रतिपर्ण पर अद्याक्षर करेगा तथा पर्णी वाला भाग उस व्यक्ति को देगा जिसके नाम प्रमाण-पत्र दिया गया है जिसे वह अपने पास रखेगा और निरीक्षक द्वारा मांग किए जाने पर उसे उसके द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए प्रस्तुत करेगा । इस प्रकार दी गई पर्णी धारा 23 के अधीन स्वीकृत किया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र मानी जायेगी । सभी प्रतिपर्णियां प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात् कम से कम दो वर्ष के लिए रखी जायेगी ।

(3) प्रमाणित करने वाला शल्य चिकित्सक मुख्य निरीक्षक के अनुरोध पर किसी भी उपक्रम या परिवहन उपक्रमों के वर्ग के बारे में वहां ऐसा परीक्षण करेगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जैसी की वह उपदर्शित करें, जहां कि—

(क) बिमारी के ऐसे मामले घटित हुए हों जिन पर यह विश्वास करना युक्ति युक्त हो कि ये कार्य की प्रकृति या वहां पर कार्य की अन्य विद्यमान दशाओं के कारण है, या

(ख) किशोरों को ऐसे किसी कार्य में नियोजित किया गया है या किया जाना है जिससे उनके स्वास्थ्य को क्षति होना सम्भाव्य है ।

(4) यदि प्रमाणित करने वाले शल्य चिकित्सक को परीक्षण के परिणाम स्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि किसी उपक्रम के किसी काम में नियोजित कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के आधार पर उस काम को करने योग्य नहीं है तो वह नियोजक को तद्नुसार लिखित रूप में सूचित करेगा । इस सूचना के प्राप्त होने पर नियोजक इस बात के लिए बाध्य होगा कि वह ऐसे व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए कार्य से निलम्बित कर दे जितनी को शल्य चिकित्सक द्वारा सिफारिश की गई हो और किसी भी व्यक्ति को ऐसे निलम्बित किए जाने के पश्चात् उस कार्य पर तब तक नियोजित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रमाणित करने वाला शल्य चिकित्सक उसे कार्य के लिए योग्य प्रमाणित न कर दे ।

(5) नियोजक प्रमाणित करने वाले शल्य चिकित्सक को किसी भी ऐसे कार्य का निरीक्षण करने के लिए सुविधायें उपलब्ध करवायगा जिसमें कि कोई व्यक्ति नियोजित है या नियोजित किया जाना सम्भावित है ।

(6) नियोजक किसी ऐसे चिकित्सा परीक्षण के प्रयोजन के लिए, जिसको प्रमाणित करने वाला शल्य चिकित्सक उपक्रम के ऐसे स्थान पर संचालित करना चाहता हो जो कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से निर्धारित किया जाए, एक एसे कमरे को उपलब्ध करेगा (स्वास्थ्य परीक्षणों के अवसर पर उसके एक मात्र उपयोग के लिए) जो कि उचित रूप से साफ किया गया होगा और पर्याप्त रूप से हवादार और रोशनी वाला होगा और एक स्क्रीन, एक मेज (लेखन सामग्री सहित) तथा कुर्सियों से सुसज्जित होगा ।

अध्याय—4

17. कैन्टीन :—प्रत्येक उपक्रम का नियोजक, प्रत्येक स्थान पर, जहां सामान्यतः प्रतिदिन 100 या उससे अधिक मोटर परिवहन कर्मकार ड्यूटी पर आते हों, मोटर परिवहन कर्मकारों के लिए, उपक्रम में या इसके निकटवर्ती स्थान पर, ऐसे स्तर और विनिदेशों के अनुसार जैसे कि मुख्य निरीक्षक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाए, एक पर्याप्त कैन्टीन की व्यवस्था करेगा ।

18. प्रचार्य कीमत.—(1) कैन्टीन में भोजन, पेय पदार्थ और अन्य पदार्थ दिए जायेंगे और प्रचार्य कीमत कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों द्वारा गठित समिति की स्वीकृति के अधीन रहते हुए होगी।

(2) कैन्टीन प्रबन्धक कमेटी, बराबर-बराबर संख्या में, नियोजक द्वारा नामांकित और मोटर परिवहन कर्मकारों द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी। निर्वाचित कर्मकारों की संख्या, उपक्रम में नियोजित प्रत्येक 50 कर्मकारों के लिए एक के अनुपात में होगी:

परन्तु किसी भी दशा में कमेटी में 5 से अधिक और 2 से कम मोटर परिवहन कर्मकार नहीं होंगे।

19. प्रत्येक उपक्रम के नियोजक को मोटर परिवहन कर्मकारों के उपयोग के लिए ऐसे प्रत्येक स्थान पर जहां रात को उनका ठहरना अपेक्षित हो, ऐसे मानक और विनिदेशों के अनुसार जैसा कि मुख्य निरीक्षक द्वारा समय समय पर निदेश दिया जाए पर्याप्त संख्या में आराम कक्षों की व्यवस्था करेगी।

20. वर्दी.—(1) उपक्रम में नियोजित चालकों, कण्डक्टरों और लाइन चैकिंग कर्मकार वृन्द को नियोजक द्वारा मुफ्त वर्दियां और बरसाती कोट, जैसा कि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है, दी जायेगी।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन दी गई वर्दियों की धुलाई का प्रबन्ध नियोजक द्वारा नहीं किया जाता है तो सम्बद्ध कर्मचारी-वृन्द प्रतिमास 2 रुपए की दर से धुलाई भत्ते के हकदार होंगे।

21. स्वास्थ्य सुविधायें.—(1) ऐसे प्रत्येक प्रिचालन केन्द्र या ठहरने के स्थान पर जिसके अन्तर्गत शहरी सेवा की स्थिति में केवल डिपो तथा अन्य कार्यालय होंगे जहां प्रतिदिन ढाई सौ या उससे अधिक मोटर परिवहन कर्मकार मामूली तौर पर ड्यूटी पर आते हैं, एक औषधालय की व्यवस्था की जायेगी जिसमें ऐसे उपकरण और औषधियां होंगी जैसी कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

(2) औषधालय का प्रभारी अर्हता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी होगा जिस की सहायता ऐसे कर्मचारी-वृन्द द्वारा की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

(3) औषधालय का फर्श कम से कम 25 वर्ग मीटर होगा और दीवारें और फर्श चिकने, कठोर और अभेद्य होंगे और वायु और प्रकाश की प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही प्रकार के साधनों से पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी। स्वास्थ्य प्रद पेय जल की पर्याप्त पूर्ति की जायेगी।

(4) प्रत्येक संचालन केन्द्र और ठहरने के स्थान पर जहां 250 से कम मोटर परिवहन कर्मकार प्रतिदिन ड्यूटी पर आते हों, प्राथमिक उपचार पेटिकायें या अनुसूची-2 में उपवर्णित मानक की अलमारियां उपलब्ध कराई जायेंगी। प्रत्येक "प्राथमिक उपचार पेटिका या अलमारी" पर स्पष्ट रूप से "प्राथमिक उपचार" चिह्नित किया जायेगा और उसमें सभी सामग्री ठीक स्थिति में होगी। ये प्राथमिक उपचार पेटिकायें या अलमारियां सम्पूर्ण कार्य के समय सुगमता से पहुंच में होंगी और प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित उपक्रम के कर्मचारी के प्रभार में होंगी:

परन्तु राज्य परिवहन उपक्रम के मामले में जहां वही सुविधायें उपलब्ध हैं जो राज्य लोक सेवकों को अनुज्ञेय हों ऊपरी उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

22. प्राथमिक उपचार सुविधायें.—प्रत्येक मोटर परिवहन में, अनुसूची-3 में वर्णित उपकरणों से युक्त प्राथमिक उपचार पेटिका उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रत्यक प्राथमिक उपचार पेटिका पर स्पष्ट रूप से "प्राथमिक उपचार" चिह्नित किया जायेगा और उसमें सभी सामग्री ठीक स्थिति में होगी।

अध्याय–5

नियोजन के घंटे और परिसीमा

23. कार्य का समय.—(1) नियोजक के लिखित आवेदन पर, मुख्य निरीक्षक निम्नलिखित स्थिति में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी अवधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, मोटर परिवहन कर्मकारों को किसी भी दिन 8 घण्टे या किसी भी सप्ताह 48 घण्टे से अधिक के लिए कार्य करने की अनुमति दे सकेगा परन्तु किसी भी स्थिति में एक दिन में 10 घण्टे से और सप्ताह में 54 घण्टे से अधिक नहीं :—

(1) 100 कि0मी0 या उससे अधिक दूरी के किसी भी मार्ग पर, और
(2) ऐसे उत्सवों या अवसरों पर जो राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं।

(2) धारा 13 के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी भी मामले में नियोजक किसी भी मोटर परिवहन कर्मकार से एक दिन में 16 घण्टे से अधिक और सप्ताह में 72 घण्ट से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं करेगा या अनुमति नहीं देगा और इसके साथ ही ड्यूटी समाप्त होने और अगली ड्यूटी आरम्भ होने के बीच कम से कम 8 घण्टे का लगातार विश्राम होना चाहिये।

24. कार्य के समय का नोटिस.—(1) कार्य के समय का नोटिस प्ररूप 4 में होगा।

(2) यह हिन्दी, अंग्रेजी और कर्मकारों की बहु संख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखा जायेगा और ऐसे सहज दृष्य स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा जहां मोटर परिवहन कर्मकार सामान्यतः ड्यूटी पर आते हों और इसे साफ और सुपाठ्य रखा जायेगा :

परन्तु यदि मुख्य निरीक्षक की यह राय हो कि ड्यूटी अनुसूची या उपक्रम के नित्य क्रम के रूप में रखा गया कोई अन्य अभिलेख इस नियम के अधीन अपेक्षित विवरण को दर्शाता है तो वह लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि ऐसे अभिलेख का रखा जाना ही इन नियमों के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन होगा ।

(3) काम के समय के नोटिस में परिवर्तन की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जा सकेगी जब तक कि निरीक्षक को काम के समय के नोटिस में अनुध्यात परिवर्तन को उपदर्शित करते हुए पूर्ण दिन का नोटिस नहीं दिया जाता है ।

25. साप्ताहिक विश्राम.—(1) किसी भी मोटर परिवहन कर्मकार से उसके लिए नियत विश्राम दिवस को जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त दिन कहा गया है तब तक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी या अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, जब तक कि—

(क) उसे उक्त दिन से ठीक पूर्व या पश्चात् के तीन दिनों में से पूरे एक दिन का जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिस्थापित दिन कहा गया है अवकाश न हुआ हो या नहीं होना हो, और
(ख) नियोजक ने उक्त दिन या प्रतिस्थापित दिन से पूर्व जो भी पहले हो—
(i) अपने इस आशय का कि उक्त दिन को कर्मकारों द्वारा कार्य करना अपेक्षित है उस दिन का जो प्रतिस्थापित किया जाना हो, का नोटिस निरीक्षक के कार्यालय में न दिया हो, और
(ii) उसके बारे में नोटिस परिसर में प्रदर्शित न किया हो ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दी गई नोटिस, निरीक्षक के कार्यालय में दी गई नोटिस द्वारा रद्द की जा सकेगी और उक्त दिन या प्रतिस्थापित दिन, जो भी पहले हो, से पूर्व के दिन तक उपक्रम के परिसर में प्रदर्शित नोटिस रद्द की जायेगी ।

(3) जहां उप-नियम (1) के उपबन्धों के अनुसार कोई मोटर परिवहन कर्मकार उक्त दिन को कार्य करता है और इससे ठीक पूर्व के तीन दिनों में से एक दिन उसका अवकाश हो तो वह उक्त दिन, उसके कार्य के साप्ताहिक घण्टों के प्रयोजन के लिए ठीक पूर्ववर्ती सप्ताह में सम्मिलित किया जायेगा।

26. प्रतिकरात्मक छुट्टी.—(1) प्रत्येक नियोजक, उस महीने के अन्त में या उससे पूर्व जिसमें छुट्टियां खाई जाएं, उस महीने में या ठीक आगामी दो महीनों में सम्बन्धित कर्मकारों की प्रतिकरात्मक छुट्टी अनुज्ञात करते हुए और उसकी तारीखों के बारे में, उसी स्थान पर जिस पर अधिनियम की धारा 18 के अधीन निर्धारित कार्य समय का नोटिस प्रदर्शित किया गया हो, नोटिस प्रदर्शित करेगा। किसी प्रतिकरात्मक छुट्टी के सम्बन्ध में, नोटिस में कोई पश्चात्वर्ती परिवर्तन उस छुट्टी की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व किया जा सकेगा।

(2) कोई भी प्रतिकरात्मक छुट्टी या छुट्टियों जिनका कर्मकार हकदार है, उसे सेवा मुक्त या पदच्युत किए जाने से पहले दी जायेगी और सेवामुक्त या पदच्युत किये जाने से पहले दी जाने वाली अपेक्षित नोटिस की किसी भी अवधि के भाग के रूप में उनकी गणना नहीं की जायेगी।

(3) प्रत्येक नियोजक प्ररूप-5 में प्रतिकरात्मक छुट्टियों का रजिस्टर रखेगा जो उसमें अन्तिम प्रविष्टि के पश्चात्, तीन वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखा जायेगा और मांगने पर निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्याय—6

मजदूरी और छुट्टी

27. अतिकाल.—जब कोई मोटर परिवहन कर्मकार धारा 13 के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट किसी मामले में, एक दिन में 8 घण्टे से अधिक और सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक कार्य करता है, तो उसकी मामूली मजदूरी के आधे की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, वह अतिकाल कार्य के लिए मामूली मजदूरी की दर से डेढ़ गुणा मजदूरी का हकदार होगा।

टिप्पणी.—अतिकाल कार्य से, ऐसा कोई कार्य अभिप्रेत है जो एक दिन में आठ घण्टे से और सप्ताह में 48 घण्टों से अधिक हो।

28. छुट्टियां.—राज्य सरकार मोटर परिवहन कर्मकारों को दी जाने वाली छुट्टियों को राजपत्र में अधिसूचित कर सकेगी।

29. मजदूरी सहित छुट्टी.—(1) प्रत्येक नियोजक प्ररूप-6 में मजदूरी सहित अवकाश का रजिस्टर रखेगा :

परन्तु यदि मुख्य निरीक्षक की यह राय हो कि कोई मस्टर रोल या किसी उपक्रम के नित्य क्रम के भाग के रूप में रखा गया रजिस्टर या नियोजक द्वारा बनाई गई विवरणी अधिनियम के अध्याय 6 के प्रवर्तन के लिए अपेक्षित विशिष्टियों को किसी या सभी कर्मकारों के लिए दर्शाती है तो वह लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसा मस्टर रोल, रजिस्टर या विवरणी तत्सम्बन्धी सीमा तक उस रजिस्टर के स्थान पर रखी जायेगी और उपक्रम के सम्बन्ध में इस नियम के अधीन रखा जाने वाला, अपेक्षित रजिस्टर ही समझी जाए।

(2) मजदूरी सहित अवकाश का रजिस्टर, इसमें अन्तिम प्रविष्टि के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि तक परिरक्षित रखा जायेगा और निरीक्षक की मांग पर उसके समक्ष पेश किया जायेगा।

30. छुट्टी पुस्तिका.— प्रत्येक नियोजक हर कर्मकार को प्ररूप 8 में एक पुस्तिका जिसे इसमें इसके पश्चात् छुट्टी पुस्तिका कहा गया है उपलब्ध करवायेगा। छुट्टी पुस्तिका कर्मकार की सम्पति होगी और नियोजक

या उसका अभिकर्ता इसकी मांग आवश्यक प्रविष्टियां करने के लिए ही करेगा अन्यथा नहीं और एक समय पर एक सप्ताह से अधिक अपने पास नहीं रखेगा. :

परन्तु यदि नियोजक द्वारा मोटर परिवहन कर्मकार को कोई छुट्टी कार्ड या छुट्टी की पूर्ण विशिष्टियों को जैसी कि छुट्टी पुस्तिका में दर्शाई गई है, दर्शाने वाला कोई समरूप अभिलेख जारी किया जाता है, तो ऐसा कार्ड या अभिलेख मुख्य निरीक्षक के लिखित आदेश द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि राज्य परिवहन उपक्रम के मामले में जहां वैसी ही रीति से छुट्टी का उचित अभिलेख रखा जाता है जैसे कि राज्य सरकार में रखा जाता है छुट्टी पुस्तिका उपलब्ध कराना अपेक्षित नहीं होगा।

31. कर्मकारों का रजिस्टर.—प्रत्येक नियोजक प्ररूप 8 में कर्मकारों का रजिस्टर रखेगा, परन्तु यदि मुख्य निरीक्षक की यह राय हो कि उपक्रम के नित्यक्रम के भाग के रूप में रखा गया कर्मकारों का कोई रजिस्टर या समरूप अभिलेख इस नियम के अधीन अपेक्षित विशिष्टियों को दर्शाता है तो वह लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि रजिस्टर के स्थान पर, कर्मकारों का ऐसा रजिस्टर या अभिलेख ही रखा जायेगा और उसे इस नियम के अधीन रखा जाने वाला कर्मकारों का अपेक्षित रजिस्टर ही समझा जायेगा ।

32. मस्टर रोल.—प्रत्येक नियोजक, उपक्रम में नियोजित सभी कर्मकारों का प्ररूप 9 में मस्टर रोल रखेगा :

परन्तु यदि मुख्य निरीक्षक की यह राय हो कि उपक्रम के नित्यक्रम के भाग के रूप में रखा गया कोई मस्टर रोल या रजिस्टर इस नियम के अधीन अपेक्षित विशिष्टियों को दर्शाता है तो वह लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसा मस्टर रोल या रजिस्टर ही उस मस्टर रोल के स्थान पर रखा जायेगा और इस नियम के अधीन रखा जाने वाला अपेक्षित मस्टर रोल ही समझा जायेगा ।

33. अतिकाल मस्टर रोल.—प्रत्येक नियोजक प्ररूप 10 में मस्टर रोल रखेगा और उसमें काम के अतिकाल समय और उसके संदाय की सही प्रविष्टि की जायेगी । मस्टर रोल सदैव निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा :

परन्तु यदि मुख्य निरीक्षक की यह राय हो कि उपक्रम के नित्यक्रम के भाग के रूप में रखा गया कोई मस्टर रोल या रजिस्टर इस नियम के अधीन अपेक्षित विशिष्टियों को दर्शाता है तो वह लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसा मस्टर रोल या रजिस्टर ही उस मस्टर रोल के स्थान पर रखा जायेगा और इस नियम के अधीन रखा जाने वाला अपेक्षित मस्टर रोल ही समझा जायेगा ।

34. व्याष्टिक नियन्त्रण पुस्तिका.—(1) कोई नियोजक किसी भी मोटर परिवहन वाहन को तब तक चलाने की अनुज्ञा नहीं देगा जब तक वाहन में यात्रा कर रहे प्रत्येक मोटर वाहन कर्मकार को प्ररूप संख्या 11 में नियन्त्रक पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई जाती है और अनुरक्षित नहीं रखी जाती है ।

पुस्तिका प्ररूप-11 की दो प्रतियों के साथ जिल्दबन्द की जायेगी और प्रत्येक प्ररूप को क्रमवर्ती रूप से संख्यांकित किया जाएगा ।

परन्तु यदि मुख्य निरीक्षक की यह राय हो कि उपक्रम के नित्यक्रम के भाग के रूप में रखी गई कोई व्याष्टिक नियन्त्रक पुस्तिका का इसी प्रकार का अभिलेख इस नियम के अधीन अपेक्षित विशिष्टियों को दर्शाता है तो वह लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि व्यक्तिगत नियन्त्रण पुस्तिका के स्थान पर ऐसी व्याष्टिक नियन्त्रण पुस्तिका या अभिलेख ही रखा जाए और इस नियम के अधीन रखी जाने वाली अपेक्षित व्याष्टिक नियन्त्रण पुस्तिका ही समझी जाए :

परन्तु यह और कि राज्य परिवहन उपक्रम के मामले में जहां इसी प्रकार का अभिलेख रखा जाता है व्याष्टिक नियन्त्रण पुस्तिका का रखा जाना अपेक्षित नहीं है।

(2) वाहन में यात्रा करने वाला प्रत्येक मोटर परिवहन कर्मकार, प्रतिदिन व्याष्टिक नियन्त्रण पुस्तिका में प्रविष्टियां करेगा और प्ररूप की मूल प्रति उस सप्ताह के पूरा होने के पश्चात् जिससे प्ररूप सम्बन्धित है, प्रथम कार्य दिवस तक अपने नियोजक को भेजेगा या प्रस्तुत करेगा ।

(3) प्रत्येक नियोजक उप-नियम (2) में वर्णित व्याष्टिक नियन्त्रण पुस्तिका की मूल प्रतियां प्रत्येक मोटर परिवहन कर्मकार के लिए अलग नस्ति में तीन वर्ष की अवधि के लिए रखेगा और निरीक्षक के मांगने पर पेश करेगा ।

(4) वाहन में यात्रा करने वाला प्रत्येक कर्मकार अन्तिम प्रविष्टि के पश्चात् व्याष्टिक नियंत्रण पुस्तिका को ले जायेगा और कम से कम 6 मास तक अपने पास रखेगा और निरीक्षक के मांगने पर निरीक्षण के लिए पेश करेगा ।

अध्याय–7

प्रकीर्ण

35. विवरणियां.—प्रत्येक उपक्रम का नियोजक निरीक्षक को या राज्य सरकार द्वारा इस निमित नियुक्त अन्य अधिकारी को ठीक उस वर्ष के उत्तरवर्ती प्रथम फरवरी तक जिससे कि यह सम्बन्धित है, प्ररूप संख्या 12 में दो प्रतियों में वार्षिक विवरणी पेश करेगा ।

36. निरसन और व्यावृति.—1-11-1966 से पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा लागू हिमाचल प्रदेश मोटर परिवहन नियम, 1965 और 1-11-1966 को हिमाचल प्रदेश में जोड़ गए क्षेत्रों में यथा लागू पंजाब मोटर परिवहन नियम, 1963 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है, परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए सभी कार्य और आदेश जहां तक वे इन नियमों से असंगत नहीं हैं क्रमशः इन नियमों के अधीन किए गए समझे जायेंगे ।

प्ररूप संख्या–1

(नियम 4 और 8 देखिए)

पंजीकरण और पंजीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनकरण के लिए आवेदन-पत्र

1. मोटर परिवहन का नाम ।
2. पूरा पता जिस पर मोटर परिवहन से सम्बन्धित सं0 सूचना भेजी जानी चाहिए ।
3. मोटर परिवहन सेवा का प्रचार अर्थात् नगर सेवा, लम्बी दूरी यात्रा सेवा, लम्बी दूरी भाड़ा सेवा ।
4. मार्गों की कुल संख्या ।
5. मार्ग की कुल दूरी ।
6. पूर्ववर्ती वर्ष की अन्तिम तारीख को मोटर परिवहन वाहनों की कुल संख्या ।
7. पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित मोटर परिवहन कर्मचारों की अधिकतम संख्या ।
8. निम्नलिखित का पूरा नाम और निवास स्थान का पता:—

   (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन फर्म के पंजीकृत न होने की स्थिति में मोटर परिवहन उपक्रम का स्वामी और सांझेदार, या
   (2) पब्लिक सैक्टर उपक्रम की स्थिति में महाप्रबन्धक ।

9. कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत कम्पनी की स्थिति में निदेशक का पूरा नाम और निवास स्थान का पता ।

10. फीस की राशि ..... रुपये (रुपये .....) तारीख .....को ..... खजाना ..... में संदत्त की गई है। चालान संख्या ..... (संलग्न है)

नियोजक के हस्ताक्षर
तारीख

टिप्पणी.—यह प्ररूप स्पष्ट शब्दों में स्याही से भरा जाना या टंकित होना चाहिए।

प्ररूप संख्या–2

(नियम 5 देखें)

मोटर परिवहन उपक्रम चलाने के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र

पंजीकरण संख्या.....फीस रुपए.....
क्रमांक.....

मोटर परिवहन अधिनियम, 1961 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वर्ष में किसी एक भी दिन.....से अधिक व्यक्तियों को नियोजित न करते हुए मोटर परिवहन सेवा चलाने के लिए .....को एतद्द्वारा पंजीकरण का प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

पंजीकरण प्रमाण-पत्र 31 दिसम्बर, 19_ तक लागू रहेगा।

तारीख.....19 .

मुख्य निरीक्षक/निरीक्षक।

नवीनकरण की तारीख	समाप्ति की तारीख	मुख्य निरीक्षक के हस्ताक्षर

प्ररूप संख्या–3
(नियम 16 देखें)
आरोग्यता प्रमाण-पत्र

1. क्रमांक.....
   तारीख.....
2. नाम.....
3. पिता का नाम.....
4. निवास स्थान का पता.....
5. जन्म तिथि यदि उपलब्ध हो या प्रमाणित आयु.....
6. शारीरिक अरोग्यता
7. पहचान चिन्ह.....
8. निम्नलिखित के लिए कारण:

   (1) प्रमाण-पत्र की अस्वीकृति
   .....

क्रमांक.....
तारीख.....
नाम .....

निवास स्थान.....

का इच्छुक है उसकी आयु मेरे परीक्षण के अनुसार यथा साध्य ..... वर्ष निकटतम अभिनिश्चित की जा सकती है और वह मोटर परिवहन उपक्रम में किशोर के रूप में नियोजन के लिए आरोग्य है।

.... उसके पहचान चिह्न ......

(2) प्रमाण-पत्र ....

के कारण से प्रतिसहृत किया जा रहा है।

अंगूठा निशान | अंगूठा निशान।

प्रमाणित करने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर | प्रमाणित करने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर

टिप्पणी:—शारीरिक निःशक्तता के कारण का विवरण स्पष्ट रूप से दिया जायेगा।

10. फीस की राशि ..... रुपये (रुपये .....) तारीख .....को ..... खजाना ..... में संदत्त की गई है। चालान संख्या .....
(संलग्न है)

नियोजक के हस्ताक्षर
तारीख

टिप्पणी.—यह प्ररूप स्पष्ट शब्दों में स्याही से भरा जाना या टंकित होना चाहिए।

प्ररूप संख्या–2

(नियम 5 देखें)

मोटर परिवहन उपक्रम चलाने के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र

पंजीकरण संख्या.....फीस रुपए.....
क्रमांक.....
मोटर परिवहन अधिनियम, 1961 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वर्ष में किसी एक भी दिन.....से अधिक व्यक्तियों को नियोजित न करते हुए मोटर परिवहन सेवा चलाने के लिए .....को एतद्द्वारा पंजीकरण का प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

पंजीकरण प्रमाण-पत्र 31 दिसम्बर, 19.. तक लागू रहेगा।

तारीख.....19 .

मुख्य निरीक्षक/निरीक्षक।

नवीनकरण की तारीख	समाप्ति की तारीख	मुख्य निरीक्षक के हस्ताक्षर

प्ररूप संख्या–3
(नियम 16 देखें)
आरोग्यता प्रमाण-पत्र

1. क्रमांक.....
   तारीख.....
2. नाम.....
3. पिता का नाम.....
4. निवास स्थान का पता.....
5. जन्म तिथि यदि उपलब्ध हो या प्रमाणित आयु.....
6. शारीरिक अरोग्यता
7. पहचान चिन्ह.....
8. निम्नलिखित के लिए कारण:

   (1) प्रमाण-पत्र की अस्वीकृति
   .....

क्रमांक.....
तारीख.....
नाम .....

निवास स्थान.....

का इच्छुक है उसकी आयु मेरे परीक्षण के अनुसार यथा साध्य ..... वर्ष निकटतम अभिनिश्चित की जा सकती है और वह मोटर परिवहन उपक्रम में किशोर के रूप में नियोजन के लिए आरोग्य है।

..... उसके पहचान चिह्न ..... है।

(2) प्रमाण-पत्र .....

..... के कारण से प्रतिसंहृत किया जा रहा है।

अंगूठा निशान

अंगूठा निशान।

प्रमाणित करने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर

प्रमाणित करने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर।

टिप्पणी:—शारीरिक निःशक्तता के कारण का विवरण स्पष्ट रूप से दिया जायेगा।

प्रपत्र संख्या 4

(नियम 24 देखिये)

वर्ष 19 के लिए मोटर परिवहन कर्मकारों के लिए कार्य समय का नोटिस

उपक्रम का नाम . . . . स्थान . . . .

कार्य समय	नियोजित पुरुषों की कुल संख्या	नियोजित किशोरों की कुल संख्या	वर्गों का विवरण	विशेष कथन

क्रम वर्ग	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	वर्ग	कार्य कालक्रम	अनुज्ञात सप्ताहिक छुट्टी का दिन
क्रम											

कार्य दिवस में कार्य का समय

2 से———तक	क
3 से———तक	ख
4 से———तक	ग
5 से———तक	घ
6 से———तक	ङ
7 से———तक	च
8 से———तक	छ

तारीख जब यह नोटिस प्रथम बार प्रदर्शित किया गया

नियोजक के हस्ताक्षर

प्ररूप संख्या 5

(नियम 26 देखिये)

प्रतिकरात्मक छुट्टियों का रजिस्टर

क्रम सं0	कार्य रजिस्टर में क्रम संख्या	नाम	छूट सम्बन्धी आदेशों की तारीख और सं0				छूट आदेश के कारण खोये सप्ताह आराम दिवस				दी गई प्रतिकरात्मक छुट्टियों की तारीख	अगले वर्ष में ले जाए गये आराम	खोये हुए दिन	विशेष कथन
			वर्ष	जनवरी से मार्च	अप्रैल से जून	जुलाई से सितम्बर	अक्तूबर से दिसम्बर	जनवरी से मार्च	अप्रैल से जून	जुलाई से सितम्बर	अक्तूबर से दिसम्बर			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13

प्ररूप संख्या 6

(नियम 29 देखिये)

मजदूरी सहित छुट्टी का रजिस्टर
वयस्क/किशोर

क्रम संख्या. . . . .
उपक्रम का नाम . . . .

नाम . . . .
पिता का नाम . . . .
सेवा में भर्ती होने की तारीख. . . . .
सेवा से मुक्त होने की तारीख . . . .
देय छुट्टी के बदले में सन्दत राशि की तारीख. . . .

सेवा का कलैण्डर वर्ष	मजदूरी की अवधि — से — तक	मजदूरी अवधि के दौरान अर्जित मजदूरी	किए गए कार्य के दिनों की संख्या	जमा छुट्टी		खाता संख्या 5 तथा 6 का जोड़	क्या छुट्टी अस्वीकृत की गई	..से..तक ली गई छुट्टी	खाते में जमा शेष छुट्टी	मजदूरी की सामान्य दर	खाद्यान और अन्य सामग्री को रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराने के कारण हुए आर्थिक लाभ की राशि	छुट्टी की अवधि में मजदूरी की दर खाना सं0 11 और 12 का जोड़	विशेष कथन
				पूर्ववर्ती वर्ष में बकाया छुट्टियां	खाना 1 में उल्लिखित वर्ष के दौरान अर्जित छुट्टी								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

टिप्पणी:—प्रत्येक कमकार के लिए अलग-अलग पृष्ठ प्रयोग किया जाएगा ।

प्ररूप संख्या 7

(नियम 30 देखिए)

छुट्टी पुस्तिका

वयस्क/किशोर

क्रम सं0 .....

उपक्रम का नाम. .....

पता .....

सेवा में भर्ती होने की तारीख .....

सेवामुक्त होने की तारीख. .....

देय छुट्टी के बदले में संदत्त राशि और तारीख ....

सेवा का कलैण्डर वर्ष	मजदूरी अवधि —से—तक	मजदूरी अवधि के दौरान अर्जित मजदूरी	किये गये कार्य के दिनों की संख्या	जमा छुट्टी		खाना सं0 5 व 6 का जोड़
				पूर्ववर्ती वर्ष से बकाया छुट्टियां	खाना 1 में उल्लिखित वर्ष के दौरान अर्जित छुट्टियां	
1	2	3	4	5	6	7

क्या छुट्टी अस्वीकृत की गई थी	—से—तक ली गई छुट्टी	जमा शेष छुट्टी	मजदूरी की सामान्य दर	खाद्यान्न और अन्य सामग्री को रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराने के कारण हुये आर्थिक लाभ की राशि	छुट्टी की अवधि में मजदूरी की दर खाना नं0 11 और 12 का जोड़	विशेष कथन
8	9	10	11	12	13	14

टिप्पणी:—प्रत्येक कर्मकार के लिये छुट्टी पुस्तिका मोटे कागज (जिल्द बन्द) की बनाई जायेगी ।

प्ररूप संख्या-8

(नियम -31 देखिए)

कर्मकारों का रजिस्टर

भाग-I वयस्क

भाग-II किशोर

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	पता	कार्य का स्वरूप	कार्य समूह का अक्षर जैसा कि कार्य समय के नोटिस में है	यदि किशोर हो तो निरोगता प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8

प्ररूप संख्या 9

(नियम 32 देखिय)

मास के लिए मस्टर रोल

उपक्रम का नाम ..... स्थान .....

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	कार्य का स्वरूप	——से——तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

प्ररूप संख्या 10

(नियम 33 देखिये)

अतिकाल मस्टर रोल

भाग-I धारा 13 के प्रथम परन्तुक के अधीन अतिकाल

भाग-II धारा 13 के द्वितीय परन्तुक के अधीन अतिकाल

क्रम सं0	कर्मकारों के रजिस्टरों में क्र0 सं0	नाम	कार्य का स्वरूप	वे तारीखें जिनको अतिकाल मूल कार्य किया गया	प्रत्येक अवसर पर अतिकाल की माता	कुल अतिकाल कार्य	मामूली वेतन की दर	अतिकाल वेतन की दर	अतिकाल अर्जन	व तारीखें जिनको अतिकाल का संदाय किया गया	विशेष कथन

प्ररूप संख्या 11

(नियम 34 देखिये)

व्याष्टिक नियन्त्रण पुस्तिका

रविवार से. . . . .शनिवार तक सप्ताह 19. . . कागज संख्या. . . . . . .

मोटर परिवहन कर्मकार का नाम· · ·················

समय और स्थान .....

दिन	तारीख	कार्य पर या विश्राम पर (विश्राम)	जब कार्य किया गया	कार्य की समाप्ति	समय विस्तार	प्रति वाहन के साथ सड़क पर कार्य	10 मी0 तक अवरोधक दूरी अथवा इससे अधिक धारा 2 के खाना "च" में सन्दर्भित	चलन का समय 7-8	गौण कार्य के लिए व्यतीत किया गया समय	15 मिनट से कम अवधि वाले स्थानों पर अधिक देर तक रुकने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. रविवार										
2. सोमवार										
3. मंगलवार										
4. बुधवार										
5. वीरवार										
6. शुक्रवार										
7. शनिवार										

कार्य के घंटे (9-10-11)	विश्राम अन्तराल	अतिकाल कार्य की अवधि	परिस्थितियां जिनके अधीन अतिकाल कार्य किया
12	13	14	15

टिप्पणी:—नया कार्य सप्ताह शनिवार की अर्धरात्रि से आरम्भ होता है, शनिवार के कार्य घण्टे और विश्राम, पूर्व सप्ताह में सम्मिलित किये जाने चाहियें और रविवार के कार्य घण्टे और विश्राम आगामी सप्ताह में सम्मिलित किये जाने चाहियें ।

मोटर परिवहन कर्मकार के हस्ताक्षर और तारीख ।

प्ररूप संख्या–12

(नियम 35 देखिए)

वार्षिक विवरण

31 दिसम्बर, 198 को समाप्त होने वाला वर्ष

1. मोटर परिवहन उपक्रम का नाम .....
2. डाक पता .....
3. प्रतिदिन नियोजित कर्मकारों की औसतन संख्या वयस्क/किशोर .....
4. प्रतिदिन कार्य का सामान्य समय वयस्क/किशोर .....
5. विश्राम के लिए कितना मध्यावकाश दिया गया वयस्क/किशोर .....
6. धाराओं के उपबन्धों से छूट प्राप्त कर्मकारों की संख्या 13 .....
7. मजदूरी सहित छुट्टी:
   (1) कलैण्डर वर्ष के दौरान जिससे यह विवरण सम्बन्धित है मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी के हकदार कर्मकारों की संख्या। 19 .....
   (2) उन कर्मकारों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान छुट्टी दी गई । वयस्क/किशोर .....
   (3) वर्ष के दौरान सेवा-मुक्त या पदच्युत कर्मकारों की संख्या वयस्क/किशोर .....
   (4) सेवा मुक्त कर्मकारों की संख्या जिन्हें छुट्टी के बदले मजदूरी संदत्त की गई । वयस्क/किशोर .....
   (5) छुट्टी के स्थान पर संदत्त मजदूरी की राशि .....
8. प्रतिकरात्मक छुट्टियां :
   (i) धारा 19 से छूट प्राप्त कर्मकारों की संख्या वयस्क/किशोर .....
   (ii) कर्मकारों की संख्या जिन्होंने निम्नलिखित में छुट्टियां प्राप्त की हों ....
      (क) उसी मास
      (ख) अगले मास
      (ग) तीसरे मास
9. कैन्टीन

   (कैन्टीनों की संख्या और स्थिति)

प्रतिदिन की औसतन संख्या कार्य दिवस की कुल उपस्थिति संख्या को वर्ष के दौरान कार्य दिवस की संख्या द्वारा विभाजित करके प्राप्त की जायेगी । उपस्थिति की गणना करते समय अस्थाई और स्थाई कर्मचारियों की उपस्थिति को गिना जाये, अलग-अलग पारियों की उपस्थिति अलग-अलग गिनी जायेगी ।

ऐसे दिन जिसमें उपक्रम का संचालन नहीं किया गया हो, चाहे कारण कुछ भी हो, कार्य दिवस माने जायेंगे ।

10. चिकित्सा सुविधायें :—
   (1) औषधालयों की संख्या और स्थान
   (2) चिकित्सकों की संख्या

(3) नर्सों की संख्या
(4) विश्राम कक्ष:
(i) विश्राम कक्षों की संख्या
(ii) आवास, फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों का विवरण जो उपलब्ध करवाये गए हों
(iii) कर्मकारों की प्रतिदिन की उपस्थिति की लगभग औसत

दिनांक.....

नियोजक के हस्ताक्षर

अनुसूची–1

(नियम 20 देखिए)

कर्मचारी-वृन्द वर्ग	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	आपूर्ति की अवधि
1 (1) चालक, उपचालक यातायात निरीक्षक और टिकट निरीक्षक ।	(क) सूती कमीज या कोट सूती पैंट या सूती टोपी या पगड़ी	2 2 1	प्रत्येक ग्रीष्म में
(2) क्लीनर, चौकीदार और अन्य लाइन चैकिंग स्टाफ यदि उनका वाहन के साथ जाना अपेक्षित हो।	(ख) गर्म कोट-गर्म पैंट गर्म कोट अथवा पगड़ी	1 1	तीन वर्ष में एक बार
	(ग) अर्धबन्द, चप्पल (पठान की भांति)	2	जोड़ी प्रति वर्ष
	परन्तु जिन स्थानों पर जलवायु के कारण गर्मियों के कपड़े साधारणतय: नहीं पहने जाते, तो ये वहां नहीं दिए जायेंगे और वहां तीन वर्ष में एक बार सर्दियों की वर्दी देने की बजाए दो वर्ष में एक बार दी जायेगी।		
2. (i) यातायात निरीक्षक और टिकट परीक्षक	बरसाती टोपी सहित	1	पांच वर्ष में एक बार
(ii) क्लीनर, चौकीदार और अन्य लाइन चैकिंग स्टाफ यदि उन्हें सामान्य कार्य के लिए वर्षा के दौरान बाहर जाना हो।			

टिप्पणी:—"निरीक्षक" में "टिकट निरीक्षक" "यात्रा टिकट निरीक्षक" और "सड़क निरीक्षक" और "नियन्त्रक", "सहायक यातायात निरीक्षक" और "यातायात प्रभारी चैकर", यदि उनका वाहन के साथ जाना अपेक्षित हो, सम्मिलित होंगे ।

टिप्पणी:—गर्मियों की वर्दी की कम से कम कीमत 65 रुपए, सर्दियों की वर्दी की कीमत 125 रुपये और चप्पलों की 20 रुपए होगी ।

अनुसूची 2

(नियम 21 देखिए)

(क) संचालन केन्द्रों और ठहरने के स्थानों पर जहां प्रतिदिन 10 और 50 से अनधिक मोटर परिवहन कर्मकार प्रायः ड्यूटी पर आते हैं, प्रत्येक प्रथम उपचार पेटिका या अलमारी में निम्नलिखित उपकरण होंगे :—

(1) 12 छोटी रोगाणुनाशक पट्टियां।
(2) 6 मध्यम आकार की रोगाणुनाशक पट्टियां ।
(3) 6 बड़े आकार की रोगाणुनाशक पट्टियां ।
(4) 6 बड़े आकार की रोगाणुनाशक जले रोगी पर प्रयुक्त होने वाली पट्टियां ।
(5) 6 (14.175 ग्राम) के रोगाणुनाशक रुई के पैकट।
(6) 1 (56.699 ग्राम) की बोलत जिसमें कि 2 प्रतिशत अल्कोहल आयोडिन का मिश्रण हो।
(7) 1 (56.699 ग्राम) की बोलत जिसमें सावोलेटिल हो जिसमें दवाई की मात्रा और देने का ढंग उसके लेबल पर चिह्नित किया हो ।
(8) चिपकने वाले पलस्टर का एक रोल ।
(9) सांप से काटे हुए स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला मलहम ।
(10) 1 28.35 ग्राम पोटाशियम परमगनेट झीस्टल की बोतल ।
(11) जोडी कैंची ।
(12) प्रथमोपचार पत्रक की अनुमोदित प्रति ।

(ख) संचालन केन्द्रों और ठहरने के स्थानों पर जहां प्रतिदिन प्रायः 50 से अधिक मोटर परिवहन कर्मकार ड्यूटी पर आते हैं, प्रत्येक प्रथम उपचार, पेटिका या अलमारी में निम्नलिखित उपकरण होंगे:—

(1) 24 छोटी रोगाणुनाशक पट्टियां।
(2) 12 मध्यम आकार की रोगाणुनाशक पट्टियां ।
(3) 12 बड़े आकार की रोगाणुनाशक जले हुए रोगों पर प्रयुक्त होने वाली पट्टियां।
(4) 12 (14.175 ग्राम) के रोगाणुशक रुई के पैकट
(5) 1 सांप के काटे पर लगाया जाने वाला मलहम।
(6) 1 जोड़ा कैंची
(7) 2 (28.250 ग्राम) पोटाशियम परमागनेट झीस्टल की बोतल ।
(8) 1 (113.398 ग्राम) की बोतल जिसमें कि 2 प्रतिशत अल्कोहल आयोडिन का मिश्रण हो ।
(9) 1 (113.398 ग्राम) की बोतल जिसमें सावोल लेटिल हो जिसमें दवाई की मात्रा और देने का ढंग उसके लेबल पर चिह्नित किया हो ।
(10) प्रथमो चार पत्रक की अनुमोदित प्रति।
(11) 0.1016 मीटर चौड़ी पट्टियों के 12 रोल ।
(12) 0.0508 मीटर चौड़ी पट्टियों के 12 रोल ।
(13) चिपकने वाले पलस्टर के 2 रोल ।
(14) 6 त्रिकोणाकार पट्टियां।
(15) सेफ्टी पिन के 2 पैकट।

अनुसूची-3

(नियम 22 देखिये)

(1) छोटी रोगाणु[illegible]यां।
(2) 3 मध्यम आकार की रोगाणुनाशक पट्टियां।
(3) 3 बड़े आकार की रोगाणुनाशक पट्टियां।
(4) 3 बड़े आकार की जले हुए रोगी पर प्रयुक्त होने वाली पट्टियां।
(5) 1 (28.380 ग्राम) की बोतल जिसमें कि 2 प्रतिशत अल्कोहल आयोडिन का मिश्रण हो।
(6) 1 (28.380 ग्राम) की बोतल जिसमें सालवोलेटिल हो, जिसमें दवाई की मात्रा और देने का ढंग उसके लेबल पर चिह्नित किया हो।
(7) सांप के काटे पर लगाया जाने वाली मलहम।
(8) 1 (28.350 ग्राम) पोटाशियम परमगनेट क्रीस्टल की बोतल।
(9) 1 जोड़ी कैंची।
(10) अनुमोदित प्रथमोपचार पत्रक की अनुमोदित प्रति।

आदेश द्वारा,
हर्ष गुप्ता,
सचिव

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।